Phone/ Fax:- 0135-2531154/2531072

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
(प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वर्ग)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

UTTARAKHAND

Office of Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Website- www.pwd.uk.gov.in

Email- eicpwduk@nic.in

पत्र स0– 442/396प्रशिक्षण–(चि0प्र0पू0)/2018 दिनाक– 04/06/2020

''परिपत्र''

प्रायः देखा जा रहा है कि उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों से सरकारी सेवारत् एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा अपने अथवा अपने परिवार के आश्रित सदस्यों की प्रदेश के भीतर/बाहर कराये गये चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे स्वीकृति हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रेषित किये जा रहे हैं। जिनका परीक्षण करने पर, सुसंगत शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार न पाये जाने के कारण स्वीकृत करने अथवा कार्योत्तर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये जाने में कठिनाई हो रही है। त्रुटियों के निराकरण हेतु वापस किये जाने की स्थिति में समय अधिक लग रहा है। ऐसे प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रकरणों को इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने से पूर्व ही सुसंगत शासनादेशों के आलोक में जांच/परीक्षण हेतु **''चैक लिस्ट/S.O.P.''** संलग्न करते हुए, निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त **''चैक लिस्ट/S.O.P.''** के बिन्दुओं के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का परीक्षण कर समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त ही दावे इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

ह0/-
(हरिओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को चैक लिस्ट/S.O.P. की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
2– समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0,.....।
3– वरिष्ठ स्टाफ आफिसर(अधि0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
4– समस्त अधीक्षण अभियन्ता,.....वां वृत्त, लो0नि0वि0,.....।
5– अधिशासी अभियन्ता (प्रशिक्षण), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
6– समस्त अधिशासी अभियन्ता,.....खण्ड, लो0नि0वि0,.....।
7– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी–।।, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
8– गार्ड पत्रावली हेतु।

संलग्न– यथोपरि चैक लिस्ट/S.O.P.

3/7/2020
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा के परीक्षण हेतु चैक लिस्ट/एस0ओ0पी0

1–(अ) चि0प्र0पू0 दावा प्रस्तुत करने वाले कार्मिक का नाम/पदनाम–

(ब) सेवारत् अथवा सेवानिवृत्त–

2–आवेदक द्वारा दावा प्रस्तुत करने की तिथि–

3–शा0सं0–345/XXVIII–3–2016–437/2002 दिनांक–16.052016 में निहित प्राविधानों के अनुसार–

(अ) क्या चि0प्र0पू0 दावा 06 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है?

(ब) क्या अनिवार्यता प्रमाण पत्र में अंकित उपचार अवधि के अनुसार उपचार मुक्त होने की तिथि से 60 दिन के अन्तर्गत प्राधिकृत चिकित्सक के हस्ताक्षर कराये गये हैं?

4–(अ) क्या उपचार कराने वाला रोगी स्वयं है अथवा परिवार का सदस्य?

(ब) यदि पारिवारिक सदस्य है तो उसका कार्मिक से सम्बन्ध–

5– परिवार के सदस्य हेतु दावा होने पर शा0सं0–474/पांच–6–14–1082/87–टी0सी0 दि0–04.03.2014 के अनुसार–

(1) परिवार का आश्रित सदस्य (पति/पत्नी/माता/पिता/बच्चे/सौतेले बच्चे, अविवाहित/तलाकशुदा/परिव्यक्त पुत्री, अविवाहित/तलाकशुदा/परिव्यक्त बहनें, अवयस्क भाई, सौतेली माता) जिसका दावा प्रस्तुत किया गया है। क्या उक्त आश्रित सदस्य सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित है और सामान्यतया सरकारी सेवक के साथ निवास कर रहे हैं? सम्बन्धित प्रमाण पत्र दावे के साथ संलग्न है?–

टिप्पणी–1. किसी परिवार के ऐसे सदस्यों, जिनकी उपचार आरम्भ होने के समय पर सभी श्रोतों से आय रू0–3500/– और रू0–3500/–प्रतिमाह की मूल पेंशन पर अनुमन्य महंगाई के योग से अधिक न हो, को पूर्णतया आश्रित माना जायेगा।

CAO

EE/I

(2) क्या उक्त आश्रित सदस्य का नाम सेवा अभिलेखों में परिवार के सदस्य के रूप में दर्ज है?

(3) यदि नहीं है तो आश्रित होने की दशा में स्वयं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है?

टिप्पणी–2. आश्रितों के लिए आयु–

(4) पुत्र के दावे हेतु क्या पुत्र की आयु 25 वर्ष से कम है तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है? सेवायोजित है या नहीं?

(सेवा अभिलेखों में अंकन आयु 25 वर्ष से अनधिक हो तथा सेवायोजित न होने की दशा में ही विचार किया जायेगा)।

(5) पुत्री के दावे हेतु क्या पुत्री अविवाहित है? सेवायोजित है या नहीं?

(सेवा अभिलेखों में अंकन या आश्रित होने सम्बन्धी स्वयं का प्रमाण पत्र देना होगा। जिसमें अविवाहित होने का भी उल्लेख हो। अविवाहित एवं सेवायोजित न होने की दशा में ही विचार किया जायेगा)।

(6) क्या पुत्र मानसिक या शारीरिक स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है? (जीवन पर्यन्त)

(7) क्या तलाकशुदा/पति से परित्याजित/विधवा आश्रित पुत्रियां और अविवाहित/तलाकशुदा/पति से परित्याजित विधवा आश्रित बहनें तो नहीं हैं? (जीवन पर्यन्त)

(8) भाई के दावे हेतु भाई वयस्क है अथवा अवयस्क?

(वयस्कता प्राप्त करने की दशा में विचार नहीं किया जायेगा)।

(9) परिवार का आश्रित सदस्य जिस हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है क्या किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत् अथवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं?

6–यदि उपरोक्त बिन्दु–5 तक की सूचनाओं के अनुसार दावा अनुमन्य हो तो शा0सं0–679/चि0–3–2006–437/2002 दिनांक–04.09. 2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार–

(1) क्या दावे में अनिवार्यता प्रमाण–पत्र संलग्न है?

CAO EE/I

(2) क्या अनिवार्यता प्रमाण पत्र में उपचार की अवधि अंकित है?

(3) क्या अनिवार्यता प्रमाण पत्र में चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं?

(4) क्या सन्दर्भण का आदेश है?

(5) यदि सन्दर्भण का आदेश नहीं है तो आकस्मिकता की दशा में प्राधिकृत चिकित्सक से हस्ताक्षरित है अथवा नहीं–

(6) चिकित्सा उपचार से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचर मूल में संलग्न हैं–

(7) क्या संलग्न बिल वाउचर चिकित्सक से सत्यापित हैं?

(8) क्या सभी बिल वाउचर उपचार अवधि के भीतर की तिथि के हैं?

(9) क्या उक्त प्रतिपूर्ति दावा चिकित्सा विभाग के सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित है?

(10) चिकित्सा उपचार प्रदेश में कराया गया अथवा प्रदेश के बाहर कराया गया है ?

(11) चिकित्सा उपचार प्रदेश से बाहर कराये जाने की दशा में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त है?

(12) यदि नहीं तो वित्त नियंत्रक के माध्यम से शासन को स्वीकृति हेतु सन्दर्भित किया जा चुका है अथवा किया जाना है?

———